

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिनांक: प्राविधिक/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संलग्नक: दिनांक: 09/08/2021

।कार्यालय ज्ञापन:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली परामर्शी कार्यालय, अफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सत्र हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता, पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 में सम्बद्धता, सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सत्र 2021-22 हेतु परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता एवं उत्तम अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

स्था का कोड एवं नाम : 2746-BABU BANARSI DAS NORTHERN INDIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY LUCKNOW

संस्था का कोड	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयीं शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य विनियम नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क हीन वर्षीय कुल 06 पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उत्तरांचल के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के संबंध में संस्था-समय पर सासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले सूचनादेश प्रकाशी होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनीकरण दरे लागू होगी।
- संस्था को (उपरोक्त) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- संस्था में संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीर्ष के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- संस्था को समय-समय पर निर्गत कार्यादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताये गये विधि/नियमों/अभिनियमों/व्यवस्थापकीय/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश कच्छे गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य होगी।
- डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई., नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई काद दाखर किया जाता है तथा दूसरे काद के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किए जाया है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संस्थागत करने वाली संस्थाओं की संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अतः संस्था उन्हें संवेक की (काउन्सिलिंग) के माध्यम से अपना संस्था स्तर पर सीधे प्रेषित। अनुमोदित नहीं प्रदान की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की वैश्वीकरण पूर्ण भूमि, स्थाप, मान-सम्मान, उपकरण, प्राप्त किए जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त सातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिम सेकने के सम्बन्ध में संस्था आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी

प्रति,

आपका यह सुनिश्चित हो ले कि आपने मेरे द्वारा भेजा गया प्रस्ताव पढ़ा है और आपने इसे स्वीकार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ।

आपके प्रस्ताव में उल्लेखित सभी शर्तों को ध्यान में रखते हुए, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ।

आपका यह सुनिश्चित हो ले कि आपने मेरे द्वारा भेजा गया प्रस्ताव पढ़ा है और आपने इसे स्वीकार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

Dr. Sunil Kumar Sonkar

दिवस: 09/04/2023

से,

Dr. Sunil Kumar Sonkar, The Northern India Institute of Technology Lucknow



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

-कार्यालय ज्ञाप-

कार्यक्रम भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय अकादमिक अपेक्ष इण्डिया नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के लक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सखनक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को ज्ञापन प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सखनक की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में ज्ञापन द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता प्राप्त से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सेवा पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के सद-3 में विधायक द्वारा प्राथमिक पाठ्यक्रम सम्बन्धित कर्तव्य पूर्ण से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-दिग्दर्शन कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

'गिजी संज में स्थापित डिप्लोमा इन प्राथमिक पाठ्यक्रम सम्बन्धित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सखनक से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उक्त नए को सम्मुख अर्थात् पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।'

दिनांक 14-08-2020 को आहुत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों को अर्पित पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र० नं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2748	श्री. अजरसीदास मार्षल डीएस इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीएस-11 310 अजिमेडा दान नगर, कजजवाट रोड, किराहा, सखनक।	डिप्लोमा इन काग्रेसी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईओसीआईओ/पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की सभी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमोंद्वारा 1992, सेक्टर विनियमोंद्वारा-2018 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा अनुमोदन निर्णय समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों की अवधि के लिए पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रत्येक को वार्षिक प्राथमिक पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000.00/- वार्षिक एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यक्रम) अनुपालन के अतिरिक्त रु० 20,00,00,00/- वार्षिक शुल्क ही वार्षिक पाठ्यक्रमों/शाखा में प्राप्त किया जाएगा। उपायकर्ता का अतिरिक्त सेवा, पाठ्यक्रम की शुल्क को सम्बद्धता के अतिरिक्त अलग से आचरण द्वारा किया किया जाने वाले सामाजिक प्रदायी सेवा, अन्य अनुमोदन अतिरिक्त सेवा

